

राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2015

अधिसूचना सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.16/एमडीएंडसीईओ/2015 -राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/ 1987) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (इसके बाद प्रधान निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, यथा:

अनुसूची I का संशोधन

प्रधान निर्देशों की अनुसूची I में निम्नलिखित समाविष्ट किए जाएंगे, यथा :-

भाग 1(ग) में: क्षेत्र विवरण में दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत नए राज्य "तेलंगाना" समाविष्ट जाएगा।

भाग 4.1(घ) में: राज्य कॉलम में नए राज्य "तेलंगाना" और मद कोड के अंतर्गत "36" समाविष्ट किया जाएगा, यथा :-

(राशि लाख रु में)

राज्य	मद कोड	नए मकानों का अधिग्रहण/निर्माण				मौजूदा मकानों के उन्नयन सहित बड़ी मरम्मत				पुराने / मौजूदा मकानों की खरीद (पुनःबिक्री)				कुल		वर्ष के दौरान चुकता	31 मार्च को बकाया
		शहरी		ग्रामीण		शहरी		ग्रामीण		शहरी		ग्रामीण		सं.	रा.		
		सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
तेलंगाना	36																

भाग 4.1(ड.): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के तहत नए राज्य "तेलंगाना" और मद कोड के अंतर्गत "36" समाविष्ट किया जाएगा, यथा:

राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	मद कोड	संवितरण												वर्ष के दौरान का चुकता (करोड़ रु में)	31 मार्च को बकाया (करोड़ रु में)
		2 करोड़ रु तक		2 करोड़ रु से अधिक और 5 करोड़ रु तक		5 करोड़ रु से अधिक और 15 करोड़ रु तक		15 करोड़ रु से अधिक और 25 करोड़ रु तक		25 करोड़ रु और उससे अधिक		कुल			
		सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.	सं.	रा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
तेलंगाना	36														

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी